नवचयनित अधिकारियों को 'साहबगिरी' से दूर रहने की सलाह

ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ही युवा अधिकारियों की सबसे बड़ी पूंजीः डीजीपी मकवाणा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मध्यप्रदेश संवर्ग के 2025 बैच के आठ प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा से सौजन्य भेंट की। इस दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को प्रशासनिक सेवा की जिम्मेदारियों, जनसेवा और नेतृत्व से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया।

डीजीपी ने कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं, बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को अपने कार्य का आधार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि यही किसी युवा अधिकारी की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने सलाह दी कि किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसका सत्यापन अवश्य करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध, नए आपराधिक कानून, नशा मुक्ति और नारकोटिक्स जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप तकनीक का प्रभावी उपयोग और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से अधीनस्थ कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों, दोनों से सीखने में संकोच नहीं करने की सलाह दी।

डीजीपी ने कहा कि प्रशिक्षण अवधि सीखने का सर्वोत्तम अवसर होती है। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों को 'साहबगिरी' से दूर रहकर विनम्रता और जनसेवा का भाव बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

15 से शुरू होगा 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान

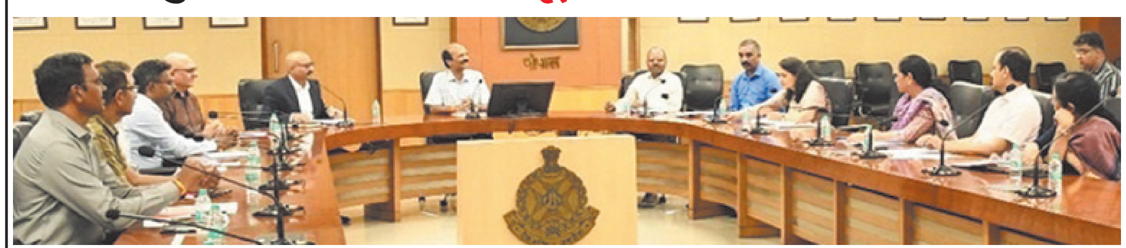

प्रदेश में नशामुक्ति को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से 15 से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाले राज्यव्यापी 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर संयुक्त कार्ययोजना पर चर्चा की। बैठक में डीजीपी ने कहा कि यह केवल पुलिस विभाग का अभियान नहीं, बल्कि पूरे समाज को नशामुक्त बनाने का सामूहिक प्रयास है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को भोपाल के रवीन्द्र भवन में मुख्यमंत्री द्वारा अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रदेशभर के स्कूलों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, खेल संस्थानों, ग्राम पंचायतों, नगरीय क्षेत्रों और औद्योगिक इकाइयों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी. श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि इस वर्ष अभियान को 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट अप्रोच' के तहत संचालित किया जाएगा। इसके लिए 15 दिनों का विस्तृत गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है। अभियान के दौरान नशा विरोधी शपथ, रैलियां, मानव श्रृंखला, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताएं, लघु फिल्मों का प्रदर्शन, खेल गतिविधियां तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सात वर्ष का कारावास

पीड़िता को 50 हजार रुपए प्रतिकर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बचपन के दोस्त की 11 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी राहुल श्रीवास्तव को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत अर्थदंड भी लगाया है तथा पीड़िता को 50 हजार रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार घटना 22 जून 2025 की है। पीड़िता अपने पिता, दादा-दादी और बुआ के साथ घर पर थी। आरोपी, जो पीड़िता के पिता का बचपन का मित्र था और घर पर नियमित रूप से आता-जाता था, देर रात नशे की हालत में घर पहुंचा। आरोप है कि उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं। पीड़िता के विरोध करने पर वह वहां से हटकर अंदर चली गई। बाद में 25 जून 2025 को हबीबगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजकों ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पक्ष रखा, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में दोषी मानते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। निर्णय में न्यायालय ने टिप्पणी की कि आरोपी ने बच्ची के विश्वास को गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई, जिसका मानसिक प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी पूर्व में हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा पा चुका था और जमानत पर रहते हुए उसने यह अपराध किया। इसे देखते हुए अदालत ने अधिकतम कठोर दंड देना उचित माना।

संपत्तिकर कम करवाने के नाम पर लाखों का गबन, दो लिपिक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम में नेशनल लोक अदालत के दौरान संपत्ति कर और जलकर जमा कराने के नाम पर करीब 14.69 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो लिपिक सेवकों ने वार्ड प्रभारी की यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करते हुए 106 फर्जी टैक्स रसीदें जारी कर दीं।

रसीदों में एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई के माध्यम से भुगतान दर्शाया गया, जबकि संबंधित राशि नगर निगम के खाते में जमा ही नहीं हुई। मामले में अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दो दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस के अनुसार, वार्ड-33 के प्रभारी रघुवीर तिवारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के बाद रिकॉर्ड की जांच के दौरान उनकी यूजर आईडी से 106 टैक्स रसीदें जारी होना सामने आया। जबकि न तो उन्होंने और न ही वार्ड के कंप्यूटर ऑपरेटर ने ये रसीदें जारी की थीं। इसके बाद मामले की विस्तृत जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान जोनल अधिकारी अंकित जायसवाल सहित संबंधित संपत्ति धारकों के बयान दर्ज किए गए। विवेचना में सामने आया कि आरोपी शिराज उलहक और मोहम्मद समीर खान लोगों को आधी राशि में संपत्ति कर और जलकर जमा कराने का लालच देते थे। आरोप है कि शिराज ने वार्ड-24 की कंप्यूटर ऑपरेटर को धोखे में रखकर वार्ड-33 के प्रभारी की यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिया। इसके बाद उसी आईडी का उपयोग कर ऑनलाइन भुगतान दर्शाते हुए 106 फर्जी टैक्स रसीदें जारी कर दीं।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने लोगों से करीब 14 लाख 69 हजार रुपये वसूले, लेकिन यह राशि नगर निगम के खाते में जमा नहीं कराई। इसके बजाय दोनों ने रकम का गबन कर अपने पास रख ली। फर्जी रसीदें मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन ने पूरे मामले की आंतरिक जांच कराई, जिसमें अनियमितताओं की पुष्टि होने पर पुलिस को शिकायत दी गई।

अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय से दो दिन की पुलिस रिमांड प्राप्त की है।

सोशल मीडिया का उपयोग ज्ञान के लिए करें समय बर्बाद न करें

नप्र, भोपाल : प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय हमीदिया महाविद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय 'दीक्षा आरंभ' कार्यक्रम का सोमवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का उपयोग केवल ज्ञान और सीखने के उद्देश्य से करने तथा अनावश्यक समय बर्बाद करने से बचने की सलाह दी गई।

प्राचार्य डॉ. रचना मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, भारतीय ज्ञान परंपरा, पुस्तकालय सेवाओं और छात्र हितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं, होगी कार्रवाई

सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और विधानसभा प्रश्नों की समीक्षा, एडीएम ने दिए सख्त निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) सुमित पांडे ने विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शिकायतों और लंबित प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा के दौरान लंबित और अनटेंडेड शिकायतों पर एडीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन विभागों में शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही सामने आएगी, उनके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एडीएम ने कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त उन आवेदनों की भी समीक्षा की, जिन्हें त्वरित निराकरण के लिए चिन्हित किया गया था। अपेक्षित कार्रवाई नहीं मिलने पर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक आवेदन का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय-सीमा में वैधानिक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए सभी विभागों को विधानसभा प्रश्नों के तथ्यपरक और प्रामाणिक उत्तर समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही विभिन्न आयोगों से प्राप्त संदर्भों और जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर भी त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

मेट्रो स्टेशन के लिए खेल मैदान की जमीन देने का विरोध

एमवीएम के पूर्व छात्रों का प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के खेल मैदान की भूमि मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए दिए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को महाविद्यालय के पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थियों ने खेल मैदान में प्रदर्शन किया।

शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय पूर्व विद्यार्थी संगठन के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में छात्रों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से खेल मैदान को सुरक्षित रखने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की। बैनर पर लिखा था, 'एमवीएम खेल मैदान की गुहार... मेट्रो, मेलों और पार्किंग से मुक्त रखो श्रीमान।' प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि मेट्रो स्टेशन के लिए खेल मैदान की भूमि अधिग्रहित की गई तो वहां पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं भी विकसित होंगी, जिससे मैदान का स्वरूप प्रभावित होगा और खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल सकेगा।

प्रदर्शन के बाद पूर्व विद्यार्थियों ने मैदान का चक्कर लगाकर अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान एमवीएम एलुमिनी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पूर्व छात्र एवं वर्तमान विद्यार्थी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार से खेल गतिविधियों और खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैदान को सुरक्षित रखने की अपील की।

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

नप्र, भोपाल : उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के फैकल्टी सदस्यों तथा कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 6 से 8 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं को समझना तथा आत्महत्या की रोकथाम के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक शैक्षणिक वातावरण विकसित करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या रोकथाम, मनोवैज्ञानिक सहयोग, जीवन कौशल और संस्थागत जिम्मेदारियों जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए। एम्स भोपाल के सहायक प्राध्यापक एवं मनोचिकित्सक डॉ. तन्मय जोशी ने कहा कि आत्महत्या केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और संस्थागत जिम्मेदारी का विषय है।

उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में तनाव, अवसाद, सामाजिक अलगाव और व्यवहार में बदलाव जैसे संकेतों की समय रहते पहचान कर सहयोग उपलब्ध कराने का आह्वान किया। शासकीय एमएलबी कन्या महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉ. अनीता पुरी सिंह ने विद्यार्थियों की भावनात्मक समस्याओं को समझने और जरूरत पड़ने पर उन्हें उचित परामर्श उपलब्ध कराने पर जोर दिया। वहीं डॉ. अमित सोनी ने मानसिक स्वास्थ्य संकट, रैगिंग और यौन उत्पीड़न जैसी परिस्थितियों में संस्थानों द्वारा संवेदनशील एवं गोपनीय प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता बताई। बीएसएसएस महाविद्यालय के डॉ. विनय मिश्रा ने जीवन कौशल, तनाव प्रबंधन, संवाद क्षमता और सकारात्मक सोच को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रशिक्षण में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

सेवा भारती के माँ अन्नपूर्णा भोजन सेवा केंद्र ने नवम् वर्ष में रखा कदम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सेवा भारती नानक मंडल द्वारा संचालित माँ अन्नपूर्णा भोजन सेवा केंद्र के आठ वर्ष पूर्ण होने और नवम वर्ष में प्रवेश के अवसर पर कैंसर अस्पताल परिसर में सेवा उत्सव एवं सहयोगी सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय, सेवा भारती के राष्ट्रीय सचिव रामेंद्र सिंह, मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष डॉ. पी.एस. बिंद्रा, प्रांत सचिव राजेश जैन तथा करण सिंह कौशिक सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों ने भोजन सेवा केंद्र द्वारा पिछले आठ वर्षों से कैंसर मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी सेवा कार्य बताया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सेवा, करुणा और सामाजिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सेवा भारती के मीडिया प्रभारी भगवान दास ढालिया ने कहा कि यह अभियान भारतीय संस्कृति के 'नर सेवा ही नारायण सेवा' के भाव को साकार करता है। समारोह में भोजन सेवा अभियान से जुड़े सहयोगियों, स्वयंसेवकों और अतिथियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष चेतन पटेल, सचिव मनोज शर्मा, अमित जैन टडेया, नवनीत अग्रवाल, तृप्ति अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सेवा भारती के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। संचालन नवनीत अग्रवाल ने किया, जबकि सुदामा शर्मा ने आभार व्यक्त किया।

मऊगंज में अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ चार आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश पुलिस ने मऊगंज जिले में अवैध सिंथेटिक ड्रग (एमडी) निर्माण इकाई का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपये मूल्य का मादक पदार्थ, रसायन, उपकरण और एक वाहन जब्त किया गया।

विंध्य क्षेत्र में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार-2' के तहत पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में शाहपुर थाना और खटखरी चौकी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान करीब 360 ग्राम संदिग्ध सिंथेटिक ड्रग (एमडी), जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई गई है, बरामद की गई। इसके अलावा 300 लीटर से अधिक रासायनिक पदार्थ, ओवन मशीन, जनरेटर, वैक्यूम पंप, हीटर, मोटर, तापमान मापक यंत्र, कांच के फ्लास्क सहित ड्रग निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के आधार पर मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि, मेरे पक्षकार आदित्य बिरला फाईनेंस भोपाल के शाखा प्रबंधन महोदय के दिशा-निर्देशानुसार श्रीमती नीता जेठानी पत्नी श्री हरिश जेठानी ने m/s अनमोल डेवपलर्स द्वारा पार्टनर (1) श्री रामबाबू अग्रवाल (2) श्री प्रदीप खिलवानी द्वारा रिप्रजेन्टेड कॉलोनी में एक-किता आवासीय भूखण्ड क्रं. 53, जो भी खसरा क्रं.-217, 218/2/1/2 एवं खसरा क्र. है.-217, 218/2/2/2 जिसका कुल एरिया 0.692 हेक्टेयर अंश भाग 1.71 एकड़ स्थित ग्राम बाउखेड़ी प.ह.नं.-23 रा. नि. मण्डल-02, ब्लॉक-फंदा तह. हुजुर, जिला-भोपाल (म.प्र.) पर स्थित है। उक्त प्लॉट क्रं. 53, जिसका पुल एरिया 1250.31 वर्गफिट अर्थात् 116.19 वर्गमीटर है। उक्त संपत्ति को क्रय करने हेतु श्रीमती नीता-जेठानी पत्नी श्री हरीश जेठानी द्वारा एक विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया है,तथा उक्त संपत्ति पर स्वीकृत लोन हेतु आदित्य बिरला हाउसिंग फायेनेंस लिमिटेड द्वारा लोन स्वीकृति प्रदान की जा चुकि उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार द्वारा सब रजि. कार्यालय में पंजीयन करवाकर उक्त संपत्ति बंधक रखी जा रही है। उक्त संपत्ति का किसी भी व्यक्ति-व्यक्तियों किसी भी शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था, बैंक, सोसायटी या किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से हित हो तो आगामी सात दिवस के अंदर मेरे कार्यालय या मोबाइल नम्बर पर संपर्क कर लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति अमान्य रहेगी।

ANAMIKA NATH, ADVOCATE
OFFICE cum Resi. H.No.29, Satakshi Garden, Khajuri Kalan Road, Piplani, Bhopal (M.P.)402022 Mob.9039026897

824

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे पक्षकार मोतीलाल ओसवाल फायनेंस लिमिटेड शाखा प्रबंधक महोदय के दिशा-निर्देशानुसार व उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजो के आधार पर श्रीमती अनिता जैन पत्नी श्री संदीप जैन द्वारा श्रीमती सुधा बाई जैन पत्नी श्री महेन्द्र कुमार जैन के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्ति म. न. 99 जो कि खसरा क्रं.-95/1/1/3(ग) का अंशभाग है जो कि ग्राम-भानपुर, वार्ड नं. 65, प.ह.नं.-21 पुराना व नया-22, तह. हुजुर जिला भोपाल (म.प्र.) पर स्थित हैं। उक्त संपत्ति को क्रय करने हेतु सुधा जैन पत्नी श्री महेन्द्र कुमार जैन द्वारा एक विक्रय अनुबंध पत्र-निष्पादित कर उक्त संपत्ति पर स्वीकृत लोन हेतु लोन स्वीकृति मोतीलाल ओसवाल फायनेंस लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रदान कि जा चुकि है। अतः उक्त संपत्ति का पंजीयन सब राजिस्ट्रार कार्याल में पंजीयन करवाकर उक्त संपत्ति बंधक रखी जा रही है। इस संपत्ति की मुल रजिस्ट्री जो कि विक्रेता श्रीमती सुधा बाई जैन पत्नी श्री महेन्द्र कुमार जैन के नाम पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय भोपाल (म.प्र.) में दिनांक 24/02/1997 पर बुक क्र. अ-1-12269 दस्तावेज क्रमांक-3310 (ख) पर पंजीबद्ध है। उक्त संपत्ति विक्रेता द्वारा कहीं गुम हो गई है जिस संबंध में सूचना संबंधी स्वीकृति थाना प्रभारी महोदय से प्राप्त कर ली गई है। अतः उक्त संपत्ति कहीं दान, गिरवी या बंधक रखी गई हो, या अन्य किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों, किसी भी शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था, बैंक, सोसायटी या किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से हित हो तो आगामी सात दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय या मोबाईल नम्बर पर लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि पश्चात प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति अमान्य रहेगी।

ANAMIKA NATH, ADVOCATE
OFFICE cum Resi. H.No.29, Satakshi Garden, Khajuri Kalan Road, Piplani, Bhopal (M.P.)402022 Mob.9039026897

823

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड शाखा प्रबंधक महोदय के दिशा-निर्देशानुसार व उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर श्री नंदकिशोर शर्मा आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा एक किता भुखण्ड क्रं.-07, जिसका कुल एरिया 1175 वर्गफिट, जो कि खसरा क्रं. 196/1/2 (S), रकबा 0.146 हे. का अंशभाग है-जो कि ग्राम - बिजलोन, प.ह.न. नया/पुराना 34/56, रा.नि.म. -03, विकास खण्ड सीहोर,तह. सीहोर, जिला- सीहोर (म.प्र.) पर स्थित है। उक्त संपति जिसे नंदादिशोर शर्मा ने श्री नवीन जाटव से क्रय की थी जिसका पंजीयन सब-राजि. कार्यालय में दिनांक-24/02/2025 ई. रजि. नं. MP441GR18482025A100114053 पर पंजीबद्ध है। नवीन जाटव द्वारा उक्त भुमि सर्वे क्रं. 196/1, रकबा 0.522 हेक्टेयर में से 0.146 हेक्टेयर भूमि दिनांक-25/1/2023 को क्रय की थी जिसका पंजीयन सब रजि. कार्यालय में MP350372023A11403230 पर पंजीबद्ध है। इस भुखण्ड को विक्रेता श्री भागीरथ आत्मज श्री मंशाराम चमार द्वारा क्रय की थी यह कि उक्त भुमि सर्वे क्रं.-196 में संयुक्त खाते की भुमि (1) श्री मुंखी आत्मज श्री बुद्धा (2) हजारी गोरिया (3) श्री नाधा (4) श्री नारन सभी पुत्रगण श्री मुंशी एवं (5) श्री भागीरथ आत्मज श्री मंशाराम चमार, (6) श्री लाड सिंग (7) श्री बटन (8) चौधिया सफी पुत्रगण श्री तुलसीराम के नाम पर दर्ज है। यह कि उक्त रकबा श्री भागीरथ आत्मज श्री मंशाराम द्वारा सर्वे क्रं.-196/1, रकबा 0.522 हे. में से विक्रित रकबा 0.146 हेक्टेयर नवीन जाटव आत्मज के पक्ष में विक्रय किया गया था। उक्त सम्मिलित खातेदारों का अन्य किसी भी प्रकार से विवाद या आपत्ति हो, तो या नामान्तरण व क्रय विक्रय संबंध में आपत्ति हो प्लाट नं. (01) चुकि उक्त खसरे से विक्रय भुखण्ड नवीन जाटव द्वारा नंदकिशोर शर्मा के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था जो टाटा केपिटल हाउसिंग फायनेंस में बंधक रखा गया था तत्पश्चात आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड शाखा भोपाल (म.प्र.) में बंधक रखा जा रहीं है। उक्त संपत्ति का किसी भी व्यक्ति, संस्था, संस्थाओं या बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान के संबंध में व अन्य शासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालय का किसी भी प्रकार का हित हो तो सात दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय या मो. नं. पर संपर्क कर मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात आपत्ति अमान्य रहेगी।

ANAMIKA NATH, ADVOCATE
OFFICE cum Resi. H.No.29, Satakshi Garden, Khajuri Kalan Road, Piplani, Bhopal (M.P.)402022 Mob.9039026897

822

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई डी. नं. 1000800418,आवेदन क्रमांक-12404, आवेदन दि. 17/06/2026
क्रमांक 2282/राजस्व/भौविप्रा/26
भोपाल दिनांकः 06/07/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की साकेत नगर योजना स्थित भूखण्ड क्रमांक-418/2-C आवंटी श्री विक्रम सिंह आत्मज स्वर्गीय श्री जगत नारायण के नाम पर आवंटित है। आवंटी श्री विक्रम सिंह द्वारा मुख्तार आम श्री रामाप्रताप सिंह द्वारा भूखण्ड पर निर्मित प्रकोष्ठ प्रथम तल स्थित जिसका क्षेत्रफल 96.4 वर्गमीटर का विक्रय श्रीमती रंजू सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार सिंह को क्रय विक्रय पत्र दिनांक 13/04/2010 को पंजीकृत कराया गया पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रंजू सिंह द्वारा भूखण्ड पर निर्मित प्रकोष्ठ का अपने नाम पर नामांतरण/नाम सम्मिलित चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

821

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल

नोटिस प्रकाशन हेतु उत्तराधिकार।

एमजेसी एसयूसी/96/2026
सुमन माली बनाम भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई
NEXT DATE :20-08-2026

प्रेषिती,.................

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुमन माली पता- मकान नं. सी-22 विद्या नगर होशंगाबाद रोड, भोपाल, म.प्र. ने मृतक स्वः श्री हरशेखर कुमार माली की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 20-08-2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 20-08-2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 16-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्यायाधीश
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

820

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल

नोटिस प्रकाशन हेतु उत्तराधिकार।

एमजेसी एसयूसी/85/2026
बशीर अहमद बनाम रजिया खातुन
NEXT DATE :19-08-2026

प्रेषिती,.......

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक बशीर अहमद पता मकान नंबर-टी-1 इब्राहिम मस्जिद के पास, नशेमन अपार्टमेंट, जोगीपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. नें मृतक कमरून निशा 60444.29/- राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकार की अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 19-08-2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 19-08-2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 13-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्यायाधीश
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

819

आम सूचना

आम सूचना मूल दस्तावेज गुम होने के संबंध में
[सम्पत्ति आवासीय फ्लेट क्रं. एच/20, प्रथम तल, हाउसिंग बोर्ड कालोनी शास्त्री नगर भोपाल तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश]

मैं अपने पक्षकार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आर.ए.सी.पी. सी.-1, भोपाल की ओर से सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पक्षकार बैंक बंधककर्ता श्री वीरेश सारस्वत पुत्र श्री रामबाबू सारस्वत भोपाल ने अभय आचवल पुत्र श्री दत्तात्रय आचवल निवासीः आई-508, शिव आंगन सलैया, तहसील कोलार जिला भोपाल मध्यप्रदेश, से उनके स्वामित्व व आधिपत्य के आवासीय आवासीय फ्लेट क्रं. एच/20, प्रथम तल, हाउसिंग बोर्ड कालोनी शास्त्री नगर भोपाल तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूर्व में-फ्लेट क्रमांक एच/22, पश्चिम में-एच टाईप ब्लाक, उत्तर में- एच टाईप ब्लाक, दक्षिण में- रोड, जिसका क्षेत्रफल 50.66 वर्गमीटर है, को अनुबंध कर क्रय किया जा रहा है, जिसको बंधक रखकर ऋण प्रदान करने जा रही है। उक्त संपत्ति का विक्रेता के नाम का मूल पंजीकृत विक्रय जो कि पुस्तक क्रमांक ए-1, ग्रन्थ क्रमांक 21184, पृष्ठ क्रमांक 84 से लेकर 89 तक कुल 6 पृष्ठ, दस्तावेज क्रमांक 2019 दिनांकित 28/09/2004 तथा पूर्व विक्रेता श्री पी. वाय. देशपाण्डे पुत्र श्री वाय.जी. देशपाण्डे के नाम की मूल पंजीकृत लीज एग्रीमेंट एवं विक्रय पत्र पुस्तक क्रमांक ए-1, ग्रन्थ क्रमांक 5732, दस्तावेज क्रमांक 5499 व 5500 दिनांकित 05/11/1998 उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में इंद्राज है। जो कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में बंधक रही थी लोन पूर्ण उपरांत उसकी असल प्रति प्राप्त नही हुयी है, जो कहीं खो गयी है और उपलब्ध नहीं है। यदि उपरोक्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर किसी व्यक्ति, संस्था का कोई ऋण, भार, दान, बंधक (साम्यिक या अन्य), अनुबंध हो अथवा इस अंतरण से किसी के कोई हित प्रभावित हों तो वह अपनी आपत्ति इस सूचना पत्र प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि के अंदर मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में मय दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत करे, उपरोक्त समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी।

अजय नागर एडवोकेट
एफ-6, प्रथम तल, राधाकृष्ण कॉम्पलेक्स जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल
मो- 9303114498, 8319900323

818

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the Certificate for ESCORTS KUBOTA LTD. given that Folio no. ESC0138694 and Share Certificate nos. 90139296 to 90139309 for 350 Equity Shares bearing Distinctive no. from 24814559 to 24814708 & from 31064509 to 31064708 of Escorts Kubota Ltd. standing in the name of Late Sartaj Singh Chhatwal claimant Pravneet Sethi have been lost or mislaid and the undersigned have applied to the Company to issue duplicate Certificate for the said shares. Any person who has any claim in respect of the said shares should write to our Registrar, KFin Technologies Limited. Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad- 500032 within one month from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate(s).

Name of Shareholder:
Pravneet Sethi
Date: 06-07-2026
Place: Bhopal

817